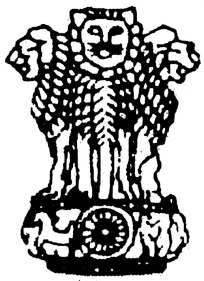

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 335 राँची, बुधवार

30 वैशाख, 1937 (श०)

20 मई, 2015 (ई०)

पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग

अधिसूचना

19 मई, 2015

संख्या-1स्था(वि०) 79 / 2010/ जी० एस० आर०- 1483.-- झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 131 एवं धारा 146 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015 को प्रकाशित किया जाता है

झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(i) यह नियमावली झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (संशोधन) 2015 कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (3), (4) एवं 12 का संशोधन

(i) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (3) के कॉलम 3 के क्रम संख्या 7, 8 एवं 9 में रिक्त स्थान के जगह पर क्रमश: 1500/- 750 / - एवं 200/ - को समाविष्ट किया जाता है तदनुरूप संशोधित प्रारूप निम्न है :-

क्र०	पदधारक का नाम	नियत (प्रतिमाह) भत्ता	दैनिक भत्ता	यात्रा भत्ता
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	जिला परिषद सदस्य	**1500**		
2	पंचायत समिति सदस्य	**750**		
3	ग्राम पंचायत सदस्य	**200**		

(ii) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (4) () में शब्द प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर शब्द जिला के उपायुक्त प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(iii) झारखण्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली 2011 के नियम (12) () के पश्चात निम्न प्रावधान सन्निहित किया जाता है :-

(iv) सदस्यों को मानदेय का भुगतान अधिसूचना निर्गत की तिथि से देय होगा ।

(v) अधिसूचना के प्रथम वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 100 प्रतिशत दायित्व राज्य सरकार की होगी ।

(vi) दुसरे वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 20 प्रतिशत संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा तथा तृतीय वर्ष में होने वाली व्यय का 50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत संबंधित संस्थाएँ अपने स्व-संसाधन से वहन करेगी चतुर्थ वर्ष से मानदेय पर होने वाली सम्पूर्ण व्यय का भार सदस्यों के संबंधित संस्था के द्वारा वहन किया जाएगा ।

(vii) पदधारकों/ सदस्यों के कर्तव्य एवं दायित्यों का अनुश्रवण पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाएगा ताकि औचित्य निर्धारित किया जा सके ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
संचिका संख्या-1स्था(वि०) 79 / 2010
(ह0/-) अस्पष्ट,
निदेशक -सह- अपर सचिव,
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी०
(विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 335—50+500 ।